

EF479324298IN

SCANNED

606830

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812फैक्स /Fax - 0612-2221056
तार /Gram : ACCOUNTS
Tele

21/4/23

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार,
पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय
Office of the Pr. Accountant General (A&E)

INWARD

20 APR 2023

No.

Pen-9 -17

संख्या :-

Date:

11 /04/2023

दिनांक:-

To,

The

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
248	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E), Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dintar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No... 3 E-3-2711-02/2022-10876/10877
(G.O. No. 21-11-2022)

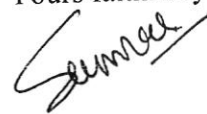
Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully



Sr. Accounts Officer

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4479, दिनांक-09.05.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से 381% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008-E.II(B), दिनांक-12.10.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% से बढ़ाकर 396% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 381% से बढ़ाकर 396% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता/राहत

परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय चेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

बिहार विधान सभा संकल्प
प्राप्ति तिथि: 22/11/22
केन्द्रीय डाक नं० 13845

पटना, दिनांक:-

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4478/वि० दिनांक-09.05.2022 के द्वारा

षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 203 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक-12.10.2022 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% से बढ़ाकर 212% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50-पैसे या उससे अधिक पैसे ऊपर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि क छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किय जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दाव निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् व कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से दे होगा।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक २ सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना व सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभ विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्ष अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।